जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 01 जुलाई, 2017 को सायः 04:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में लघु एवं सीमान्त किसानो के उन्नयन व सतत विकास हेतु जनपद में फसल ऋण मोचन योजना की जिला स्तरीय समिति के बैठक की कार्यवृत्तिः–

जिलाधिकारी बलिया के कार्यालय पत्रांक 525/कृषि–फ0ऋ0मोचन/2017–18 दिनॉक 30 जून, 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश में लघु एवं सीमान्त उन्नयन व सतत् विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजना के सन्दर्भ में योजना के जिला स्तरीय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक दिनॉक 01 जुलाई, 2017 को आयोजित किया गया। बैठक में निम्नानुसार जिला स्तरीय समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

क0 संख्या	अधिकारी का नाम	पद नाम
1	श्री सुरेन्द्र विक्रम	जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्तरीय समिति
2	श्री संतोष कुमार	मुख्य विकास अधिकारी/ सचिव, जिला स्तरीय समिति
3	श्री जे पी यादव	जिला कृषि अधिकारी/ सह सचिव, जिला स्तरीय समिति
4	श्री टी पी शाही	उप कृषि निदेशक/सदस्य, जिला स्तरीय समिति
5	श्री मनोज कुमार सिंघल	अपर जिलाधिकारी (रा0/वि0)/सदस्य, जिला स्तरीय समिति
6	श्री दिनेश कुमार सिन्हा	अग्रणी जिला प्रबन्धक/सदस्य, जिला स्तरीय समिति
7	श्री अन्जनी कुमार	प्रभारी सहायक निबन्धक/आयुक्त सहकारी समितियॉ/सदस्य, जिला स्तरीय समिति
8	श्री पी एन राय	महाप्रबन्धक सहकारी बैंक/सदस्य, जिला स्तरीय समिति
9	श्री राजेश सिंह	प्रभारी जिला गन्ना अधिकारी/सदस्य, जिला स्तरीय समिति
10	श्री सुभाष कुमार	जिला उद्यान अधिकारी/सदस्य, जिला स्तरीय समिति
11	श्री अहमद सउद	जिला सूचना विज्ञान अधिकार/सदस्य, जिला स्तरीय समिति
12	श्री बब्बन मौर्य	जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी/सदस्य, जिला स्तरीय समिति
13	श्री अरविन्द श्रीवास्तव	रीजनल मैनेजर, पूर्वॉचल बैंक–प्रथम/सदस्य, जिला स्तरीय समिति
14	श्री डी के यादव	रीजनल मैनेजर, पूर्वॉचल बैंक–द्वितीय/सदस्य, जिला स्तरीय समिति
15	श्री ए के सिंह	जिला समन्वयक, बैंक ऑफ इण्डिया
16	श्री के डी शर्मा	जिला समन्वयक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया

बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 के शासनादेश संख्या 540बी/क0नि0–6–2017–01(बी0)/2017 दिनांक 24 जून, 2017 के द्वारा लघु एव सीमान्त किसानो के उन्नयन व सतत विकास हेतु जनपद में फसल ऋण मोचन योजना के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशो के कम में शासन की मंशा को अवगत कराते हुए जनपद स्तर पर गठित जिला स्तरीय समिति के उत्तरदायित्व को पूरे निष्ठा से पूरा करने हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया गया।

1. जिला स्तरीय समिति की भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार निर्धारित है।

i. योजना के समयबद्ध कियान्वयन एवं अनुश्रवण में जिला स्तरीय समिति की भूमिका रहेगी।

ii. जिला स्तर पर निर्णय लेन में जिला स्तरीय समिति की भूमिका रहेगी।

iii. कृषि विभाग से किसानों के फसल ऋण सम्बन्धित डाटा प्राप्त करने के उपरान्त जिला स्तरीय समिति लघु एवं सीमान्त किसानों की अहर्ता के निर्धारण हेतु योजना के मानदण्ड़ों के अनुसार विचार विमर्श करेंगी। जिला स्तरीय समिति किसानों की निर्णित अन्तिम सूची को समिति के सचिव एवं सह सचिव को हस्तानान्तरित किया जाएगा। समिति का सह सचिव डाटा को डिजिटली हस्ताक्षरित करेगा तथा आवश्यक भुगतान आदेश सम्बन्धित ऋण प्रदाता संस्था को निर्गत करेंगा।

iv. जब भी पोर्टल पर किसानों से सम्बन्धित विवरण प्राप्त होगा, जिला स्तरीय समिति किसानों के उस डाटा पर योजना के मानदण्डों के अनुसार विचार विमर्श करेगी।

v. योजना में उल्लिखित परिभाषा के अनुसार किसानों के वर्गीकरण के निर्धारण के लिए जिला स्तरी समिति उत्तरदायी होगी। इस सम्बन्ध में कोई भी निर्णय जिला स्तरीय समिति द्वारा योजना के मानदण्डों के अनुरूप किया जाएगा।

vi. राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार एन0आई0सी0 के बेव पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किसानों की सूची के डाटा के विधिमान्यकरण एवं मोचित धनराशि का अर्ह किसानों के खाते में अन्तरण जिला स्तरीय समिति का उत्तर दायित्व होगा।

vii. जिला स्तरीय समिति ऐसे किसानों के सत्यापन के लिए उत्तरदायी होगी, जिन्होंने विभिन्न फसलों हेतु विभिन्न भूखण्ड़ों को बन्धक रखे जाने के सापेक्ष एक से अधिक खातों से ऋण प्राप्त किया है, उन्हे अधिकतम समेकित रूपया एक लाख की धनराशि की सीमा तक आनुपातिक आधार पर मोचन प्राप्त होगा।

viii. समुचित जागरूकता अभियान में कैम्प लगाकर सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से ऋण सम्बन्धित पत्र वितरित किए जाएंगे। योजना के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार हेतु जिला स्तरीय समिति उत्तरदायी होगी।

ix. उक्त के अतिरिक्त योजना में यथास्थान उल्लिखित अपने कार्यों के लिए जिला स्तरीय समिति उत्तरदायी होगी।

2. जिलाधिकारी महोदय द्वारा एन0आई0सी0 को निर्देश दिये गये कि योजना को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक सुविधा एव सूचना प्रोद्यौगिकी की उपलब्धता के साथ ही शिकायत निवारण प्रणाली को अभिकल्पित, विकसित, अनुरक्षित करने सहित तकनीकी कार्य के संचालन की पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगे।

(कार्यवाही–जिला सूचना एव विज्ञान अधिकारी)

3. जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला अग्रणी प्रबन्धक एवं समस्त बैकर्स के नोडल अधिकारी को निर्देश दिये गये कि एन0आई0सी0 द्वारा विकसित वेब पोर्टल पर ऋण प्रदाता संस्थाओ द्वारा स्वयं उपलब्ध कराये गये सम्परिक्षित फसल ऋण डाटा (परिशिष्ट 1 क, 1ख एव 2) की सटीकता ,सत्यता और सम्पूर्णता सुनिश्चित कर ले जिसमें भूलेख और आधार सम्मिलित होगा। फसल ऋण मोचन से सम्बन्धित डाटा का स्वामित्व ऋण प्रदाता संस्था के पास होगा तथा इसमें किसी भी प्रकार की विसंगतियो के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। जनपद में अर्ह किसानो की पहचान के लिए जिला समन्वयक अधिकारी के माध्यम से समय– समय पर जिला स्तरीय समिति की बैठक में अनिवार्य रूप से प्रगतिभाग करेगे। इस कार्य में किसी भी प्रकार की चूक न हो। किसानो की शिकायत प्राप्त होने पर उसके निस्तारण के लिए हर सम्भव कदम उठाया जाय तथा जनपद में ऋण जमाओ का विवरण पत्र (संख्या 5) जिला स्तरीय समिति को उपलब्ध करायेगे।

(कार्यवाही–जिला अग्रणी प्रबन्धक/त्रण प्रदाता संस्था)

4. लघु एव सीमान्त किसानो के उन्नयन व सतत विकास हेतु जनपद में फसल ऋण मोचन योजना के सम्बन्ध में जागरूकता अभियान के आयोजन में जिला स्तरीय समिति के साथ समन्वय स्थापित करते हुए शिकायतो के निवारण का अनुश्रवण करेगे तथा जनपद पर एक कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी जिसमें किसान अपनी समस्या को दूरभाष के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप से अवगत करा सकते है तथा योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते है। वित्त विभाग के माध्यम से

उपलब्ध बजट का प्रबन्धन और ऋण प्रदाता संस्थाओ को उसका अन्तरण करेंगे। तदोपरान्त एम0आई0एस0 के माध्यम से शासन को रिर्पोट भेजेगे।

(कार्यवाही–उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी)

5. फसली ऋण मोचन योजना में राजस्व विभाग अपने अधिकारी एव कर्मचारी के सहयोग से जनपद में लघु एव सीमान्त किसानो को चिन्हित कर लिया जाय। तथा भूलेख डाटा मैपिंग में यदि बैको को कोई समस्या आती है तो बैक को राजस्व विभाग द्वारा हर सम्भव सहयोग प्रदान करते हुए समस्या का समाधान सुनिश्चित किय जाय। इस योजना की यह बहुत ही महत्वपूर्ण कडी है।

(कार्यवाही–अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) /समस्त उप जिलाधिकारी)

6. इस योजना के अर्न्तगत आच्छादित लाभाथियों को ऋण अदायगी के सम्बन्ध में अग्रिम निर्देश तक कोई नोटिस ना निर्गत किया जाए। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि किसी भी दशा में ऋण के कारण कोई भी कृषक आत्महत्या न करे तथा किसी भी घटना को तत्काल जिला स्तरीय समिति के संज्ञान में लाया जाए।

(कार्यवाही–समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/जिला समन्वयक बैंक)

7. जनपद स्तर पर एवं तहसील स्तर पर कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाए। यह कन्ट्रोल रूम सुबह 9:00 बजे से सॉय 05 बजे तक संचालित किया जाए। कन्ट्रोल रूम में ऐसे कार्मिक की डियुटी लगाई जाए जो योजना के सन्दर्भ में भिज्ञ हों। कन्ट्रोल रूम में योजना के सन्दर्भ में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक सूची तैयार कर उपलब्ध कराया जाए। कन्ट्रोल रूम में प्रतिदिन प्राप्त हाने वाली शिकायतों को प्रतिदिन सायं एम0आई0सी0 कार्यालय, विकास भवन बलिया में भेजकर एम0आई0एस0 कराया जाए।

(कार्यावाही–जिला कृषि अधिकारी/समस्त उप जिलाधिकारी/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी)

8. योजना का जन सामान्य में व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए। प्रत्येक विकास खण्ड, तहसील, एवं जनपद मुख्यालय पर योजना से सम्बन्धित होर्डिग लगाया जाए। समाचार पत्रों के माध्यम से भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए।

(कार्यवाही–जिला सूचना अधिकारी)

9. समस्त पात्र किसानों के आधार की सीडिंग बैंक द्वारा कराया जाना अनिवार्य होगा। सम्भव है कि कुछ कृषकों के आधार अभी तक न बने हों। ऐसे में जिन कृषकों के आधार नही बने हैं उन कृषकों के आधार प्राथमिकता के आधार पर कैम्प आयोजित कराकर समय से बनवाया जाए।

(कार्यवाही–जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी)

(जे पी यादव)	(संतोष कुमार)	(सुरेन्द्र विक्रम)
जिला कृषि अधिकारी/	मुख्य विकास अधिकारी/	जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
सह सचिव, जिला स्तरीय समिति,	सचिव, जिला स्तरीय समिति,	जिला स्तरीय समिति,
बलिया।	बलिया।	बलिया।

कार्यालय जिलाधिकारी बलिया।

पत्रांक 282/4–कृषि/ल0 व सी0/फ0ऋ0मो0यो0/2017–18/ दिनांक 7 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि–निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद बलिया।
2. समस्त सम्बन्धित अधिकारी, जिला स्तरीय समिति बलिया।
3. संयुक्त कृषि निदेशक, आज़मगढ़ मण्डल, आज़मगढ़।
4. निदेशक सांख्यकी, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन लखनऊ।
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन लखनऊ।
6. आयुक्त, आज़मगढ़ मण्डल, आज़मगढ़।
7. प्रमुख सचिव (कृषि), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
8. प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(सुरेन्द्र विक्रम)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला स्तरीय समिति,
बलिया।

O/c